


'Clean environment not only SC's task'



Smog covers the city a day after Diwali —PTI

In the wake of rising pollution due to bursting of firecrackers, industry body Assocham said on Saturday, that clean environment should be a combined responsibility of the Centre, state governments, civil society and public at large, and not of the apex court alone.

The industry body said enforcement of the Supreme court order banning sale of firecrackers should have been ensured by the Union Environment Ministry, Delhi government, the state governments of Uttar Pradesh and Haryana in the entire NCR.

Air pollution in the capital soared to alarming levels on Diwali night, reaching as much as five times over the safe limit because of bursting of firecrackers despite a Supreme Court ban on their sale in the NCR, said a survey.

"The economic interest of the traders and the manufacturers was involved but

once the Supreme Court banned sale of fire crackers, the enforcement of the order should have been ensured by the Union Environment Ministry, Delhi Government, state governments of Uttar Pradesh and Haryana in the entire NCR," Assocham Secretary General DS Rawat said.

Stating that the air pollution in the NCR was 18 times more than the limit allowed, Assocham said though there was a voluntary compliance in the select areas, the ban was largely defied through sale of fire crackers on the sly inside the localities.

"The levels of PM 2.5 had risen, though there was a consolation of slightly less damage," the chamber said.

It further said there is a need for a well-coordinated action plan to control the air pollution not only during Diwali but throughout the year.

—PTI

Clean environment is not responsibility of SC alone: India Inc

NEW DELHI: In the wake of rising pollution due to bursting of firecrackers, industry body Assocham on Saturday said clean environment should be a combined responsibility of the Centre, state governments, civil society and public at large, and not of the apex court alone.

The industry body said enforcement of the Supreme court order banning sale of firecrackers should have been ensured by the Union Environment Ministry, Delhi government, the state governments of Uttar Pradesh and Haryana in the entire NCR. Air pollution in Delhi soared to alarming levels on Diwali night, because of bursting of firecrackers despite a Supreme Court ban on their sale in the NCR, said a survey.

"The economic interest of the traders and the manufacturers was involved but once the Supreme Court banned sale of fire crackers, the enforcement of the order should have been ensured by the Union Environment Ministry, Delhi

Government, state governments of Uttar Pradesh and Haryana in the entire NCR," Assocham Secretary General D S Rawat said.

Stating that the air pollution in the NCR was 18 times more than the limit allowed, Assocham said though there was a voluntary compliance in the select areas, the ban was largely defied through sale of fire crackers on the sly inside the localities. "The levels of PM 2.5 had risen, though there was a consolation of slightly less damage," the chamber said.

It further said there is a need for a well-coordinated action plan to control the air pollution not only during Diwali but throughout the year.

The entire government machinery should prepare an action plan in consultation with the civil society, traders, crackers manufacturers, Assocham said, adding that this action plan should be presented before the apex court along with the NGT. PII

Firecrackers: In the wake of rising pollution due to bursting of firecrackers, industry body Assocham said on Saturday clean environment should be a combined responsibility of the Centre, state governments, civil society and public at large, and not of the apex court alone. PTI

पर्यावरण साफ रखना सबका जिम्मा: एसोचैम

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

अपील

सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में पटाखों की बिक्री पर लगाए गए प्रतिबंध को सही तरीके से लागू नहीं करने पर एसोचैम ने चिंता व्यक्त की है। उद्योग संगठन एसोचैम ने शनिवार को कहा कि स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना केंद्र, राज्य सरकारों, समाज और लोगों की जिम्मेदारी है।

एसोचैम के महासचिव डी. एस. रावत ने कहा कि हालांकि व्यापारियों और निर्माताओं का आर्थिक हित शामिल था। लेकिन, एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, तो इस आदेश का पालन समूचे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में करवाने की जिम्मेदारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय, दिल्ली सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा की राज्य सरकारों की थी।

उद्योग चैंबर ने कहा कि हालांकि कुछ चयनित क्षेत्रों में इसका स्वैच्छिक अनुपालन किया गया, लेकिन इस

- संगठन ने कहा- सही तरीके से लागू होना चाहिए था प्रतिबंध
- केंद्र, राज्य सरकारों, समाज और लोगों को समझनी चाहिए भूमिका

प्रतिबंध को कई इलाकों में शांतिर लोगों द्वारा पटाखों की बिक्री कर खारिज कर दिया गया।

हालांकि इस वर्ष पिछले कई वर्षों की तुलना में पर्यावरण को कम नुकसान हुआ। लेकिन, एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण अभी भी 18 गुणा ज्यादा है। एसोचैम ने कहा कि इस वर्ष के अनुभव से पता चलता है कि न सिर्फ दिवाली के दौरान बल्कि पूरे वर्ष वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए एक अच्छी तरह से समन्वित कार्य योजना की आवश्यकता है। खासतौर से सर्दियों के दिनों में जब आसमान धुंध और विषाक्त गैसों से घिरा होता है।

महंगी शादियों पर दस फीसदी कम होगा खर्च

धर्मेन्द्र सिंह भदौरिया | नई दिल्ली

जीएसटी के बाद 20 नवंबर से शुरू हो रहे पहले वेडिंग सीजन की चमक इस बार कुछ फीकी नजर आ रही है। वैसे देश में शादी इंडस्ट्री करीब तीन लाख करोड़ रुपए वार्षिक की है। लेकिन इस बार डेस्टिनेशन वेडिंग से लेकर वेडिंग प्लानर्स द्वारा करवाई जाने वाली महंगी शादियों तक की संख्या में कमी आई है। महंगी शादियों के बजट में भी 10 फीसदी तक की कटौती हुई है। इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम का मानना है कि शादियों में मुख्य भूमिका निभाने वाली सभी महत्वपूर्ण चीजें जैसे ज्वैलरी, कपड़ा, होटल-रेस्तरां सर्विसेज, ब्यूटी प्रोडक्ट और अन्य महत्वपूर्ण वस्तुओं पर पहले की तुलना में जीएसटी अधिक दर से लगा है। इसलिए लगातार 20 फीसदी वार्षिक की दर से बढ़ रही इस इंडस्ट्री की रफ्तार पर भी इस बार लगाम लगी है। इस बार ग्रोथ सिर्फ पांच फीसदी रह सकती है। यानी हर बार से 15 फीसदी कम। अनुमान है कि देश में प्रतिवर्ष एक करोड़ से 1.2 करोड़ शादियां होती हैं। पंडित मनीष शर्मा के अनुसार इस वर्ष नवंबर से जुलाई तक कुछ 64 शादियों के मुहूर्त हैं। शेष पेज 9 पर

महंगी शादियों पर दस...

पिछले वर्ष 67 मुहूर्त थे। देश के चोटी के बड़े वेडिंग प्लानर द्वारा करवाई जा रही शादियों का औसतन खर्च 2.5 से 14 करोड़ रुपए तक होता है। व्यस्तता और समय की कमी के कारण शादी में गणेश पूजा से लेकर विदाई तक की सारी जिम्मेदारी वेडिंग प्लानर निभा रहे हैं। देश में करीब तीन लाख वेडिंग प्लानर सक्रिय हैं। एप और वेबसाइट भी हैं, जिनसे बड़ी संख्या में फैशन डिजाइनर्स, डेकोरेटर्स और वेडिंग प्लानर्स जुड़े होते हैं। देश में वीवीआईपी शादी करवाने वाले प्रमुख वेडिंग प्लानर ने बताया कि इस बार बाजार ठंडा है, काम नहीं है। हम हर सीजन में दो दर्जन से अधिक शादियां करवाते हैं, लेकिन अभी हमारे पास चुनिंदा ही ऑर्डर हैं, काम नहीं है। देश में शूटिंग और अपने विशेष तरह के फिल्मी सैट्स के लिए पहचानी जाने वाली रामोजी फिल्म सिटी के सीईओ राजीव जालनापुरकर कहते हैं कि नवंबर से फरवरी तक हमारे यहां 12 से 13 बुकिंग हुई हैं। बुकिंग संख्या में हमारे यहां कोई फर्क नहीं आया है। हां, यह अवश्य है कि शादियों के खर्च में 10 फीसदी की कमी आई है। खासकर डेकोरेशन में लोग कम पैसा खर्च कर रहे हैं। एक बात और है कि हमारे यहां पिछले कुछ सालों से पूर्वी भारत और दूर के शहरों से लोग बुकिंग कर रहे थे उस रुझान में थोड़ी कमी आई है। इंडस्ट्री चैंबर एसोचैम के डायरेक्टर जनरल डीएस रावत के मुताबिक शादियों में दिए जाने वाले गिफ्ट और नगदी को छोड़ दिया जाए तो देश में होने वाली शादियों से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों का बाजार करीब तीन से 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।